

२४-५-१८ पञ्जाबली न्याय आयोग द्वारा-२०१७ में अरुण
 सेवा केन्द्र का निर्माण किया गया। बार-बार आवान
 दिल्ली गई परन्तु पक्का अनुपात नहीं
 शासन का आवान भी पेश नहीं हुआ अतः
 यादी की अदाद दर्जरी एवं सदम परकी में
 वाद रखादिज किया गया। पञ्जाबली अरुण
 सुमार बिकर एवं नम्बर से काटें। आदेश
 मजमें आम में सुनाया गया। ७

सपखण्ड अधिकारी
 रामरत्नक